भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3567

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

बौद्धिक संपदा घोटालों के बारे में जागरूकता

3567. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आईपी अधिकारों की रक्षा के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) घोटालों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को बढ़ाने और आईपी अनुप्रयोगों के बारे में संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): डीपीआईआईटी ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ के लिए आईपी अधिकारों के दुरुपयोग या उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करने संबंधी धोखाधड़ी की गतिविधियों के मामलों को कम करने के लिए कई उपाय कार्यान्वित किए हैं। ये घोटाले/गतिविधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अक्सर ये धोखे या आईपी के गैर-कानूनी उपयोग के इर्द-गिर्द ही होती हैं, जिससे वित्तीय नुकसान या प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। इनमें नकली वस्तुओं को असली/वास्तविक रूप में बेचना, ब्रांड को बदनाम करने वाली गतिविधियां, साइबर स्क्वैटिंग, पेटेंट उल्लंघन, कॉपीराइट का उल्लंघन जिसमें कॉपीराइट सामग्री की पाइरेटेड प्रतियों की अनधिकृत रूप से प्रतिकृति तैयार करना/वितरण/बिक्री आदि शामिल हैं।

वर्ष 2017 से, शिक्षा जगत, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग संगठनों सहित प्रमुख क्षेत्रों में जागरूकता पहल के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया गया है। डीपीआईआईटी के तहत आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ ने जागरूकता सत्र, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सहित **1,300 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए** हैं, जिनका उद्देश्य आईपीआर की गहरी समझ को बढ़ावा देना तथा ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर व्याप्त जालसाजी/पाइरेसी से निपटना है।

विभिन्न क्षेत्रों के आईपी विशेषज्ञों के सहयोग से पूरे भारत में पुलिस, सीमा शुल्क और न्यायपालिका सहित विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आईपी **प्रवर्तन के संबंध में 130 से अधिक** कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

- **न्यायपालिका-** न्यायाधीशों और विधिक प्रोफेशनल कर्मियों के लिए कुल 58 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बौद्धिक संपदा से संबंधित नए विधिक फ्रेमवर्क और डिजिटल स्पेस में इसके अनुप्रयोग के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना है। ये सत्र आईपी उल्लंघनों के संबंध में विधिक कार्यवाही में समझ आधारित और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **सीमा शुल्क -** सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए 26 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें नकली वस्तुओं, अपराध जांच और सीमा नियंत्रण प्रचालनों के कुशल प्रबंधन के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस किया गया है।
- **पुलिस -** पुलिस के लिए 49 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बौद्धिक संपदा उल्लंघनों की जांच करना, आपराधिक कानून लागू करने और जनता से संवाद करने में उनके कौशल में सुधार करना है।

इसके अलावा, **शैक्षणिक संस्थानों में 400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं**, जिनमें से कुछ डीपीआईआईटी-आईपीआर चेयर और अटल टिंकरिंग लैब्स के सहयोग से किए गए थे। अब तक, 4600 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर किया जा चुका है। **उद्योग जगत को सहायता प्रदान करने के लिए 400 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं**, जिनमें से कुछ कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहयोग से किए गए थे। ये पहलें, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को, अपने आईपी की सुरक्षा के महत्व को समझने, अपने आईपी को पंजीकृत करने और इस प्रकार आईपी संबंधी उल्लंघन की चिंताओं को कम करने में सक्षम बनाती हैं।

निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गए थे:

- आईपीआर उल्लंघन के मामलों से निपटने में पुलिस अधिकारियों की सहायता के लिए आईपीआर प्रवर्तन दिशानिर्देशों को लॉन्च किया गया।
- व्यापक पहुंच के लिए प्रमुख बॉलीवुड अभिनेताओं को शामिल करते हुए एंटी-पाइरेसी वीडियो बनाए गए। इन्हें सिनेमाघरों में प्रसारित किया गया और यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।
- छात्रों के बीच नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जालसाजी के विरुद्ध मुहिम के संबंध में एक लघु वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी कर सभी राज्य पुलिस अकादमियों में नियमित एवं सेवारत अधिकारियों के लिए आईपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया।
- एनआईएक्सआई और एमसीडीसीयू के साथ साझेदारी से 186 मिलियन से अधिक हिट्स वाली लगभग 380 कॉपीराइट-उल्लंघनकारी वेबसाइटों को हटा दिया गया।
- आईपी नानी कॉमिक (भारत का पहला आईपी शुभंकर) बनाया गया और इसे जारी किया गया।
- टीचर प्लस पत्रिका में शिक्षाप्रद लेख प्रकाशित किए गए।
- बच्चों में आईपी पाइरेसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्टून चरित्रों-मोटू और पतलू का उपयोग करके एंटी-पाइरेसी वीडियो अभियान चलाया गया।

- दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए, आईपीआर पर सैटकॉम भी आयोजित किए जा रहे हैं- 2700 से अधिक ग्रामीण स्कूलों तक पहुंचकर 1,00,000 छात्रों तक पहुंच बनाई गई है।
- डिजिटल रूप से मिस आईपीआर कॉमिक लॉन्च की गई - जिसने आईपी नानी की विरासत को आगे बढ़ाया।
- व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख भारतीय जीआई को कवर करते हुए 17 प्रचार वीडियो लॉन्च किए गए।
- अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों और शिक्षकों के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ फेसबुक लाइव सत्र आयोजित किए गए।
- 400 से अधिक पंजीकृत जीआई वाला एक जीआई डिजिटल कैटलॉग विकसित किया गया। इस कैटलॉग में प्रत्येक जीआई के नाम, विशिष्टता, इतिहास और क्षेत्र को उजागर करने वाले हाई-डेफ़िनेशन फ़ोटो, शॉर्ट वीडियो और आकर्षक विवरण शामिल हैं।
- दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा (आईपी) के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी आईपीआर प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह एनआईपीएएम कार्यक्रम युवाओं और छात्रों को नकली और पायरेटेड उत्पादों के उपयोग के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक करता है। अब तक, 9,000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 23.4 लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ है, जिनमें 21.14 लाख छात्र और 2.25 लाख संकाय सदस्य शामिल हैं, जो सभी में इस प्रकार की जागरूकता को बढ़ावा देने में सहायता कर सकते हैं। प्रतिभागियों में लगभग आधी संख्या (49%) महिलाओं की थी। ये कार्यक्रम सभी 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

(ग) और (घ) : देश में बौद्धिक संपदा ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आईपीआर नीति की शुरुआत की थी, जिसमें सभी आईपीआर को एक सिंगल विजन दस्तावेज में शामिल किया गया था, जिसमें आईपी कानूनों के कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया था।

इस नीति में सात उद्देश्य हैं, जो आविष्कारकों, कलाकारों और रचनाकारों को अधिक सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करके नवप्रयोग और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण सृजित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। किए गए उपायों में आईपी फाइलिंग और उसके निपटान के मामले में अनुपालन और समय-सीमा में कमी, स्टार्टअप, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क में छूट तथा आवेदकों की कुछ श्रेणियों के लिए जांच में तेजी लाना शामिल हैं। कुछ प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) स्कीम:** स्टार्टअप्स को उनके पेटेंट, डिजाइन या ट्रेडमार्क आवेदनों को सरकारी पैनल में शामिल कर आईपी सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से फाइल करने और उन पर कार्यवाही

करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) स्कीम शुरू की गई थी। 06 सितंबर, 2019 से भारत में स्थापित प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केन्द्र (टीआईएससी) की सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी भारतीय नवप्रवर्तकों/रचनाकारों तक इस स्कीम का विस्तार किया गया था। नवंबर, 2022 में, इस स्कीम को संशोधित किया गया और आईपी सुविधा प्रदाताओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सुविधा शुल्क में कम से कम 100% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई, ताकि वे पात्र आवेदकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें।

ii. **समग्र शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए आईपीआर के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान स्कीम (स्पृहा) :** इस स्कीम के तहत, डीपीआईआईटी ने आईपीआर के क्षेत्र में अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आईपीआर चेयर प्रोफेसरों की नियुक्ति की है। आरंभिक स्तर पर इस स्कीम में 18 विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे। तथापि, वर्ष 2023 से अब तक, 20 नए विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए, जिससे इनकी कुल संख्या 38 हो गई, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करके यह स्कीम विश्वविद्यालयों को अनुसंधान, विशेष प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने में सक्षम बनाती है। यह स्कीम शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है और सुनिश्चित करती है कि आईपी से संबंधित अनुसंधान के माध्यम से वास्तविक सामाजिक लाभ प्राप्त हों। इस समग्र दृष्टिकोण से न केवल आईपी शिक्षा मजबूत होती है, बल्कि यह स्कीम शैक्षणिक परिणामों को भी राष्ट्रीय आईपी नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप बनाती है और इस प्रकार ये एक नवप्रयोग आधारित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के विजन की दिशा में योगदान दे रही हैं।

iii. **आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण**–आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है और कार्य प्रवाह की प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया गया है। आवेदनों के तेजी से निपटान के लिए ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सहित सभी शाखाओं में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान की गई है। **ट्रेडमार्क में एआई और एमएल आधारित खोज प्रौद्योगिकी भी शुरू की गई है।** *आईपी सारथी चैटबॉट* को, आईपी पंजीकरण/अनुदान प्रक्रियाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

iv. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार** प्रतिवर्ष 13 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई (कमिश्नरेट में जिला/जोन), साइबर सेल और सीमा शुल्क कार्यालय शामिल हैं। ये पुरस्कार दर्ज की गई एफआईआर, आरोप पत्र, दोष सिद्धि, की गई छापेमारी और जब्त सामग्री के मूल्य जैसे मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जो कि भारत में प्रभावी आईपी प्रवर्तन के महत्व को रेखांकित करने और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम है।

v. **अनुपालन को सरल बनाना**–पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित किए गए। आविष्कारकों

को मान्यता प्रदान करने देने के लिए आविष्कारक प्रमाणपत्र प्रदान करना शुरु किया गया है। अन्य परिवर्तनों में फॉर्म 3/फॉर्म 27 के अनुपालन को सरल बनाते हुए, पेटेंट सुरक्षा का दावा करने के लिए अवधि को बढ़ाना शामिल है। वर्ष 2017 में व्यापर चिह्न नियम में संशोधन के तहत, फाइल किए जाने वाले फार्मों की संख्या को लगभग 75 फॉर्म से घटाकर **8 फॉर्म कर दिया गया है।**

vi. **डब्ल्यूआईपीओ प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केंद्र (टीआईएससी) कार्यक्रम**, भारत में नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और लाभ उठाने के लिए सेवाएं प्रदान करके, अनुसंधान और विकास तथा आईपी वाणिज्यीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग ने देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों में **34 प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केंद्र (टीआईएससी)** स्थापित किए हैं। इन कार्यकलापों में पेटेंट डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करना, आईपी प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शन तथा आईपी मूल्यांकन और लाइसेंसिंग के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। टीआईएससी, संभावित निवेशकों और बाजार अवसर से भी आईपी सृजकों को जोड़ते हैं, जिससे नवप्रयोग के वाणिज्यीकरण में सुविधा होती है।

vii. **शुल्क में कटौती:** आईपी ईकोसिस्टम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, स्टार्टअप्स को अपने आईपी की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क में छूट दी गई है। स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों को पेटेंट के मामले में 80% तक, ट्रेडमार्क में 50% और डिजाइन में 75% तक की छूट दी जा रही है।

आईपी आवेदनों के बारे में संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पेटेंट आवेदन फाइल करने की तारीख या प्राथमिकता तारीख से अठारह महीने तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जब तक कि आवेदक शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत न करें। इसके अतिरिक्त, आवेदन, विशेषताएं और अन्य संबंधित दस्तावेजों को आवेदन प्रकाशित होने तक, जांच के लिए परीक्षक के पास नहीं भेजा जाता है। डिजाइन केवल पंजीकरण के बाद ही प्रकाशित किए जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने आईपी आवेदनों से संबंधित डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। समस्त डाटा को क्लाउड पर सुरक्षित रूप से अपलोड किया गया है, जिससे डाटा हानि के मामले में बेहतर सुरक्षा प्राप्त होती है और अनधिकृत डाटा एक्सेस को रोका जा सकता है।

*****